न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

जतिन बनाम भूमिधारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा अंक - 6/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
11-10-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य मे व्यस्त/ मीटिंग मे है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26-10-23 को पेश हो।	
26-10-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य मे व्यस्त/ मीटिंग मे है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 07-12-23 को पेश हो।	
7-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य मे व्यस्त/ मीटिंग मे है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16-2-24 को पेश हो।	
19-2-24	राजकीय अवकाश होने के कारण आज, पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य मे व्यस्त/ मीटिंग मे है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4-3-24 को पेश हो।	
08.07.2024	दिनांक 04.03.2024 से इकजाई से इकजाई तारीख पेशी दिये जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी ने आज ही बहस सुनी जाने जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 15.07.2024 को पेश हों। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
15.07.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज ... स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर आंशिक स्वीकार ... कर डिक्री किया जाता है। तदनुसार ... जावे। ... फैसल शुमार होकर निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली ... बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.14 10:52:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
06 / 2023	2023 / 010	18.01.2023	15.07.2024

उनवान प्रकरण

1. जतिन पुत्र बक्साराम जाति जाट उम्र 35 सला निवासी ढाणी बाढावाली तन ग्राम गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हाल R/O W/Z-1421 S/F L/F Nangal Raya /Delhi- 110046 Employed as Constable at police Station Dabri Dwarka New Delhi- 110045

वादी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रतिवादी—

उपस्थितः–

श्री जालिम सिंह, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड
अंतर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि तन ग्राम गढटकनेत पटवार हल्का गढटकनेत भू0अ0नि0 अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 122, 123, 124, 125 कुल किता 4 कुल रकबा 6.7800 हैक्टर में हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.14 10:52:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

1/54 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 106 लगायत 113, 144, 145, 151/2224, 152/2225, 26, 28/2188 कुल किता 14 कुल रकबा 12.1200 हैक्टर में हिस्सा 1/18 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी का नाम झाबरमल पुत्र बक्सा दर्ज है। वादी के अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात दिल्ली पुलिस–सर्विस रिकार्ड, पैना कार्ड, बैंक पास बुक, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड आदि में वादी का नाम जतिन पुत्र बक्साराम है। जिसके कारण वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओं में परेशानी होती है एवं किसान केडिट कार्ड बनवाने में परेशानी आ रही है। इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी में झाबरमल पुत्र बक्सा के स्थान पर जतिन पुत्र बक्साराम घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। वादी ने पटवारी हल्का व भूमिधारी तहसीलदार से नाम दुरूस्ती बाबत निवेदन किये जाने पर अदालत में दावा प्रस्तुत करने एंव आदेश लाने को कहा जाने पर बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर वादपत्र निम्न प्रकार डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि तन ग्राम गढटकनेत भू0अ0नि0 अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 122, 123, 124, 125 कुल किता 4 कुल रकबा 6.7800 हैक्टर में हिस्सा 1/54 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 106 लगायत 113, 144, 145, 151/2224, 152/2225, 26, 28/2188 कुल किता 14 कुल रकबा 12.1200 हैक्टर में हिस्सा 1/18 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी का नाम झाबरमल पुत्र बक्सा के स्थान पर जतिन पुत्र बक्साराम घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जा[illegible] दुरूस्ती हेतु भूमिधारी तहसीलदार को आदेश प्रदान [illegible] किया है। इसलिए दावा पेश करने वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी [illegible] न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.14 10:52:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 984/भू.अ./23 दिनांक 20.06.2023 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। वादी साक्ष्य में वादी के मुख्य परीक्षण में जतिन पुत्र बक्साराम जाति जाट व गवाह में ओकेश कुमार पुत्र फूलचन्द जाट, संजय कुमार पुत्र बनवारी लाल जाट के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से अभिशंषा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा साक्ष्य वादी में वादी व गवाहान् के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 दो जमाबन्दीयॉ, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लाईसेन्स फोटोप्रति, भारत का राजपत्र की फोटोप्रति, भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट, साक्ष्य वादी में प्रस्तुत साक्ष्य वादी व गवाहान् इत्यादि का अवलोकन किया गया, जिसके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों में जतिन पुत्र बक्साराम का नाम झाबरमल पुत्र बक्सा दर्ज रिकार्ड होना प्रकट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.14 10:52:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

होता है। साक्ष्य वादी मे वादी स्वंय का मुख्य परीक्षण मे जतिन पुत्र बक्साराम एव वादी साक्ष्य गवाह मे ओकेश कुमार पुत्र फूलचन्द जाट व संजय कुमार पुत्र बनवारी लाल जाट के लिखितशुदा शपथ पत्रो से भी वादी के वादपत्र मे अंकित तथ्यो की पुष्टि होती है। भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 122, 123, 124, 125 कुल किता 4 कुल रकबा 6.78 हैक्टर हिस्सा 1/54 एंव खसरा नम्बर 106 लगायत 113, 144, 145, 151/2224, 152/2225, 26, 28/2188 कुल किता 14 कुल रकबा 12.12 हैक्टर हिस्सा 1/18 तन ग्राम गढटकनेत पटवार हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर में प्रार्थी का नाम खातेदारी मे झाबरमल पुत्र बक्सा दर्ज रिकार्ड है जिसे प्रार्थी जतिन पुत्र बक्साराम सही दर्ज करवाना चाहता है। जतिन पुत्र बक्साराम एंव झाबरमल पुत्र बक्सा दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। जबकि प्रार्थी के अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात् में जतिन पुत्र बक्साराम नाम है। वादी के दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लाईसेन्स फोटोप्रति, भारत का राजपत्र की फोटोप्रति में वादी का नाम जतिन पुत्र बक्साराम दर्ज है जबकि वादी का राजस्व रिकार्ड में झाबरमल पुत्र बक्सा नाम दर्ज है। झाबर के अन्य भाईयों व माता के राजस्व अभिलेख में पिता/पति का नाम बक्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी के नाम में पिता का नाम बक्सा दुरूस्त किये जाने से वादी व अन्य भाईयों व माता के क्रमशः पिता/पति के नाम में बक्सा व झाबरमल बक्साराम होने से भविष्य में विवाद पैदा हो जाये। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाकर दावा आंशिक डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.14 10:52:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड को आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 122, 123, 124, 125 कुल किता 4 कुल रकबा 6.78 हैक्टर हिस्सा 1/54 एंव खसरा नम्बर 106 लगायत 113, 144, 145, 151/2224, 152/2225, 26, 28/2188 कुल किता 14 कुल रकबा 12.12 हैक्टर हिस्सा 1/18 तन ग्राम गढटकनेत पटवार हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम झाबरमल पुत्र बक्सा के स्थान पर जतिन उर्फ झाबरमल पुत्र बक्सा दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त फरमाये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

15/7/24
(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/7/24
(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.14 10:52:55 IST
Reason: SelfAttested